



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122024-259502
CG-DL-E-18122024-259502

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5068]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2024/अग्रहायण 27, 1946

No. 5068]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2024/AGRAHAYANA 27, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2024

आय - कर

का. आ. 5476(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसके बाद इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 197क की उप-धारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अधिसूचित करती है कि यथा उक्त अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ख) में संदर्भित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान पर उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के तहत आयकर की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[सं. 128/2024/फा. सं. 275/77/2024-आईटी(बी)]

रुबल सिंह, उप सचिव